न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 999 / 2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रायसिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151 / 151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 28.06.2016 का समझौता किया हुआ था जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि में से 2 बीघा यानी 0.506 है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा देगा। मुताबिक समझौता रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151 / 151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1 / 6 हिस्सा में से 0.506 है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वह वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151 / 151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि की 1 / 6 हिस्सा भूमि में से 0.506 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करवा दे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम यथावत रखले तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करता रहा आखिरकार दिनांक 10.09.2024 को बमुकाम पदमपुरा तहसील नोहर में साफ इन्कार हो गया। यही विनाय मुखास्मत हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति सहमति पत्र दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का भाई है उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति हो चुकी है मुताबिक समझौता प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को देना स्वीकार किया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151/151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का भाई है उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति हो चुकी है मुताबिक समझौता प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि में से 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को देना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151/151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि की 1/6 हिस्सा भूमि में से 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

506 है0 भूमि पूर्व में वादी के नाम दर्ज भूमि में शामिल किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 999/2024
अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रायसिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 998 सन 2024 निर्णय दिनांक –18/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 151/151 के कुल खसरे 57 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि की 1/6 हिस्सा भूमि में से 0.506 है0 भूमि पूर्व में वादी के नाम दर्ज भूमि में शामिल किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested